1.	**योजना का नाम**	**महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**
2.	**योजना का संक्षिप्त परिचय**	विकास आयुक्त (हाथकरघा), भारत सरकार, नई दिल्ली ने पत्र दिनांक 19.9.2005 से पूर्व प्रचलित बुनकर बीमा (जनश्री बीमा एवं समूह बीमा) योजना को बंद करते हुए इसके स्थान पर ''**महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना**'' भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से आरम्भ की है।
3.	**प्रारम्भ होने का वर्ष**	2005–06 से 31 मार्च, 2017 तक।
4.	**लाभान्वित वर्ग**	बुनकर वर्ग
5.	**पात्रता**	1. बुनकर हाथकरघा बुनाई से अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत अर्जित करता हो। 2. 18 से 59 वर्ष के आयुवर्ग के बीच के सभी बुनकर चाहे महिला हो या पुरूष इस योजना में शामिल। 3. सहकारी समिति के नियमित सदस्य एवं 180 दिन बुनाई का कार्य किया हो। 4. सहकारी समितियों से बाहर के बुनकर लेकिन पात्रता शर्ते पूरी करने के संबंध में हाथकरघा प्रभारी का प्रमाण–पत्र अनुसार। 5. राज्य के हाथकरघा विकास निगम के सम्बद्ध बुनकर।
6.	**देय सुविधाएं**	इस योजना का मूल उद्देश्य हाथकरघा बुनकरों की स्वाभाविक मृत्यु के साथ–साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतम बीमा राशि प्रदान करना है। 1. सदस्य की मृत्यु की स्थिति में रु0 50,000 नामित को देय। 2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रु0 80,000 देय। 3. दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता पर रु0 50,000 देय। 4. दुर्घटना के कारण दोनों आंखें या दो अंगों या एक आंख और एक अंग की क्षति पर रु0 50,000 देय। 5. दुर्घटना में एक आंख या एक अंग की क्षति पर रु0 25,000 देय। शिक्षा सहयोग हेतु 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रति छात्र रु0 300 प्रति तिमाही प्रति छात्र को देय।
7.	**आवेदन का तरीका**	प्रत्येक बुनकर सदस्य द्वारा समूह बीमा में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना पत्र एवं नामांकन पत्र भरकर नोडल अधिकारी को देना है।
8.	**आवेदन कहां किया जाये**	संबंधित जिले के जिला उद्योग केन्द्र।
9.	**आवेदन के साथ औपचारिकताएं**	बुनकर का अंशदान 80/– रूपये जमा कराने पर ही बीमा कवरेज होगा, जिसका 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

10.	**सम्पर्क सूत्र**	आयुक्तालय उद्योग एवं संबंधित जिला उद्योग केन्द्र
11.	**निर्धारित समय–सीमा**	–
12.	**निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम**	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र या भारतीय जीवन बीमा निगम
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा
	शिकायत का समाधान होने की समय–सीमा	–
13.	**बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम**	आयुक्त, उद्योग विभाग, राज0 जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	साधारण पत्र द्वारा
	शिकायत का समाधान होने की समय–सीमा	–
14.	**योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी**	ड्राफ्ट द्वारा
15.	**यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है**	–
16	**कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है**	N/A
17.	**योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है**	–
	यदि हां, तो वेबसाईट का पता	–